न्यायालय बईजलास उपखण्ड अधिकारी चाकसू जिला, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– ओमप्रकाश सहारण (आरएएस)

अपील संख्या :– 42/2020 निर्णय दिनांक :– 7.7.20

उनवान

1. सत्यनारायण पुत्र गोविन्दनारायण जाति यादव निवासी ग्राम थूणी अहिरान तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान।

––वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये ग्राम पंचायत थली सचिव ग्राम पंचायत थली पंचायत समिति चाकसू जिला जयपुर।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील चाकसू जिला जयपुर।

––रेस्पाडेन्ट्स

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 187 दिनांक 10.01.2008 ग्रम पंचायत थली</u>

अपीलांट की ओर से अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत की गई कि संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के पिता द्वारा छोडी गई पैतृक सम्पत्ति खाता संख्या 106 के खसरा नम्बर 632 रकबा 1.70 है0 खसरा नम्बर 634 रकबा 1.26 है0, खसरा नम्बर 633 रकबा 0.88 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 3.84 है0 वाके ग्राम रसूलपुरा पटवार हल्का बाढबानपुरा तहसील चाकसू जिला

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:10:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

जयपुर राजस्थान में स्थित भूमि का अपीलांट के पक्ष में हक त्याग होने के बावजूद भी अपीलांट के पक्ष में नामान्तकरण नही खोला जाकर नामान्तकरण संख्या 187 दिनांक 10.01.2008 के द्वारा पटवार हल्का द्वारा इस टिप्पणी "हक त्याग पिता की भूमि का हुआ है, माता की भूमि में लडकियों का नाम दर्ज किया जावे।" के कारण अपीलांट के पक्ष में हक त्याग होने के बावजूद भी उक्त पैतृक सम्पत्ति के सम्पूर्ण रकबे का अपीलांट के पक्ष में नामान्तकरण नही खोले जाने से व्यथित होकर यह अपील माननीय न्यायालय श्रीमान के समक्ष नामान्तकरण संख्या 187 दिनांक 10.01.2008 के विरूद्ध निम्न आधारों पर पेश है :–

नामान्तकरण संख्या 187 में वर्णित तथ्यों व तहसीलदार चाकसू के पत्र कमांक कार्यालय तहसीलदार क/भू0अ0/19/7696 दिनांक 27.11.2019 में वर्णित तथ्यों से यह स्पष्ट प्रतीत है कि उक्त विवादित नामान्तकरण खोलते समय रेस्पोडेंट द्वारा विधि का अवलोकन किये बिना ही विधि विरूद्ध जाकर उक्त विवादित नामान्तकरण खोला गया है। जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। किसी स्त्री का अपने पति द्वारा छोडी गई सम्पत्ति में हक व हिस्सा विधि अनुसार तभी निहित होता है जब स्त्री अपने पति की मृत्यु के समय जिवित हो, जीवित होने की स्थिति मे ही वह अपने पति की विधिक वारिस होती है ना कि अपने पति की मृत्यु पूर्व मृत्यू हो जाने पर अर्थात किसी स्त्री की मृत्यू अपने पति से पूर्व हो जाती है तो उसका [illegible] ति द्वारा छोडी जाने वाली सम्पत्ति में हक व हि[illegible] रेस्पोडेंट इस तथ्य से वाकिफ होने के बावजूद भी स्व0 श्री [illegible]विन्दनारायण द्वारा छोडे गये विधिक वारिसों के द्वारा अपीलांट के पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:10:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

दिये जाने के बावजूद भी उक्त खसरा नम्बर में वर्णित पैतृक सम्पत्ति का सम्पूर्ण नामान्तकरण अपीलांट के पक्ष में नही खोला जाकर विवादित नामान्तकरण विधि विरूद्ध जाकर खोला गया है जो विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि मृत व्यक्ति के पक्ष में अचल सम्पत्ति का नामान्तकरण खोला जाकर उसे कोई हक व अधिकार नही दिया जा सकता है। अपीलांट की माता स्व0 श्रीमति कमला देवी की मृत्यु दिनांक 17.10.2001 को ही हो चुकी है। जिसका उल्लेख भी रेस्पोडेंट द्वारा खोले गये विवादित नामान्तकरण संख्या 187 में किया गया है जबकि अपीलांट के पिता का देहान्त 21.11.2004 को हुआ है। अपीलांट के पिता का देहान्त होने के पश्चात उनके द्वारा छोडे गये जीवित वारिस अपीलांट व अपीलांट के पक्ष में हक त्याग करने वाली उसकी सगी बहिने, घीसी, भूली, पप्पू देवी संतोष देवी है ना कि उनकी मृत माता, इसलिये विधि अनुसार स्व0 गोविन्द नारायण के जिवित विधिक वारिसान द्वारा अपीलांट के पक्ष में विधि अनुसार हक त्याग किये जाने के बावजूद भी उक्त पैतृक सम्पत्ति में स्व0 श्री गोविन्द नारायण के निहित हिस्से का अपीलांट के पक्ष मे नामान्तकरण नही खोल कर रेस्पोडेंट ने विधिक भूल की है। इसलिये विवादित नामान्तकरण को निरस्त किया जाकर हक त्याग के अनुसार स्व0 श्री गोविन्द नारायण द्वारा छोडी गयी सम्पूर्ण भूमि का नामान्तकरण अपीलांट के पक्ष में खोला जावे। स्व0 श्री गोविन्द नारायण द्वारा छोडी गयी अन्य पैतृक सम्पत्ति में अपीलांट के पक्ष में किये गये हक त्याग के आधार पर नामान्तकरण तस्दीक कर दिया गया है जबकि विवादित आराजी पटवार हल्का द्वारा विधि विरूद्ध टिप्पणी के कारण नामान्तकरण नही खोला जाकर विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:10:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाबसू (जयपुर)

नामान्तकरण 187 खोला गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। रेस्पोडेंट द्वारा अपीलांट की पैतृक सम्पत्ति का नामान्तकरण केवल विरासत के आधार पर नामान्तकरण संख्या 187 दिनांक 10.01.2008 खोला गया है ना कि उक्त विवादित माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण अपीलांट के पक्ष में किये गये हक त्याग के आधार पर खोला गया है जबकि रेस्पोडेंट को उक्त विवादित खसरा नम्बर का नामान्तकरण अपीलांट के पक्ष में हक त्याग के आधार पर खोला जाना चाहिये था। अपीलांट के पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग होने के बावजूद भी रजिस्टर्ड हक त्याग के आधार पर उक्त विवादित भूमि के खसरा नम्बर में स्व0 श्री गोविन्द नारायण द्वारा छोडी गयी भूमि में निहित हिस्से का नामान्तकरण नही खोलकर त्याग में वर्णित तथ्यों के विरूद्ध जाकर उक्त विवादित नामान्तकरण खोला है जो निरस्त किये जाने योग्य है। माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 25.02.2020 के अनुसार भी रेस्पोडेंट द्वारा हक त्याग के आधार पर अपीलांट के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक नही कर कानूनी भूल की है। इसलिये रेस्पोडेन्ट को अपीलांट के पक्ष में हो रहे हक त्याग के आधार पर विवादित नामान्तकरण संख्या 187 को निरस्त किया जाकर खोले जाने के आदेश फरमावे। विवादित सम्पत्ति माननीय न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण माननीय न्यायालय श्रीमान को अपील सुनने व तय करने का अधिकार प्राप्त है। तहसीलदार चाकसू द्वारा माननीय न्यायालय श्रीमान द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक [illegible].02.2020 के बावजूद भी अपीलांट के पक्ष में हक त्याग के आधार पर नामान्तकरण नही खोले जाने से अपील अन्दर मिया पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:10:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)

अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर विवादित नामान्तकरण संख्या 187 दिनांक 10. 01.2008 को मृतका श्रीमति कमला देवी के पक्ष में खोले गये नामान्तकरण को निरस्त मानते हुये अपीलांट के पक्ष मे स्व0 श्री गोविन्द नारायण के विधिक वारिसान द्वारा हक त्याग के आधार पर खाता संख्या 106 के खसरा नम्बर 632 रकबा 1.70 है0, खसरा नम्बर 632/1089 रकबा 1.26 है0, खसरा नम्बर 633 रकबा 0.88 है0 कुल किता 03 कुल रकबा 3.84 है0 वाके ग्राम रसूलपुरा पटवार हल्का बाढबागपुरा तहसील चाकसू जिला जयपुर राजस्थान में स्व0 श्री गोविन्द नारायण के निहित हिस्से का नामान्तकरण खोले जाने के आदेश फरमावे। अपील अपीलांट वकील द्वारा पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्ट्रर की जाकर रेस्पोडेंट की तलबी जारी की गयी तो रेस्पोडेंट हाजीर नही आये अपीलांट वकील ने कथन किया कि अपील नामान्तकरण संख्या 187 नि0दि0 10.01.2008 का विधि विरूद्व जाकर बावजूद हक त्याग माता की भूमि में लडकियो का नाम दर्ज कर दिया गया क्योंकि किसी स्त्री का अपने पति द्वारा छोडी गयी सम्पत्ति में हक व हिस्सा तभी निहित होता है जब स्त्री अपने पति की मृत्यू के समय जिवित हो, जीवित होने की स्थिति में ही वह अपने पति की विधिक वारिस होती है ना कि अपने पति की मृत्यू पूर्व मृत्यू हो जाने पर किसी स्त्री की मृत्यू अपने पति से पूर्व हो जाती है तो उसका उसके पति द्वारा छोडी गयी सम्पत्ति में हक व हिस्सा निहित नही होता है। रे[illegible]स तथ्यों से वाकिफ होने के बावजूद भी श्री गो[illegible] द्वारा अपीलांट के पक्ष में रजिस्टर्ड हक त्याग होने के बावजूद भी वर्णित पेतृक सम्पत्ति का नामान्तकरण अपीलांट के पक्ष में नही खोला जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Date: 2021.01.18 18:10:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चाकसू (जयपुर)